उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-80/2631/पांच-8-2016-03(नियुक्ति)/2011

लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-168(1)/चि0-3-2012-03(नियुक्ति)/2011, दिनांक 21-02-2012 द्वारा डा0 यूसुफ खान, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के क्रम में डा0 खान द्वारा दिनांक 01-03-2012 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के आदेश दिनांक 01-03-2012 द्वारा डा0 खान की तैनाती प्राथ0स्वा0 केन्द्र, त्रिलोकपुर, बाराबंकी में की गयी, जहां डा0 खान द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 खान द्वारा दिनांक 19-08-2013 को 02 वर्षीय डी0पी0एम0(साइकेट्री) कोर्स में विशिष्ट अध्ययन किये जाने हेतु डी0जे0 मेडिकल कालेज, पूना में अध्ययनरत हो गये। डा0 खान को पी0जी0 करने की अनुमति शासनादेश दिनांक 24-12-2013 द्वारा प्रदान की गयी। डा0 यूसुफ खान द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 26-07-2016 को पुन: योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 05-08-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 यूसुफ खान, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 यूसुफ खान, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24-11-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

संजय कुमार मिश्र

उप सचिव।

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-80/2631(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 यूसुफ खान, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 24-11-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।

6- कोषाधिकारी, बाराबंकी।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-79/3189/पांच-8-2016-म0(345)/2012
लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-म0म045)/2012, दिनांक 18-09-2014 द्वारा डा0 शैलेश कुमार सुमन, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, मीरजापुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। पुन: कार्यालय-ज्ञाप संख्या-27/587/पांच-8-म0(345)/2012, दिनांक 24-02-2015 द्वारा डा0 सुमन की जनपद-मीरजापुर की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के अधीन तैनात किया गया। उक्त आदेश के क्रम में डा0 सुमन द्वारा दिनांक 16-03-2015 को मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के अधीन योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। योगदान आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त डा0 शैलेश कुमार सुमन, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में पी0जी0 करने चले गये। डा0 शैलेन्द्र कुमार सुमन द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पुन: योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 23-08-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 शैलेश कुमार सुमन, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 शैलेश कुमार सुमन, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 23-11-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-79/3189(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 शैलेश कुमार सुमन, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 23-11-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।

6- कोषाधिकारी, आजमगढ़।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-78/3115/पांच-8-2016-जी0(127)/2016
लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म0(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 मृदुला यादव, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा के आदेश दिनांक 15-10-2012 डा0 यादव की तैनाती डा0 बी0आर0 अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय(महिला), इटावा में की गयी थी, जहां डा0 मृदुला यादव द्वारा दिनांक 17-10-2012 को कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 यादव द्वारा दिनांक 17-10-2012 से 31-07-2013 तक नियमित रूप से कार्य करते हुए वेतन प्राप्त किया गया। वर्ष 2013 में डा0 यादव का चयन डी0एन0बी0(आब्सटेट्रिक्स एवं कायनोकोलाजी) में हो जाने के कारण दिनांक 31-07-2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 अध्ययनरत हो गयी। डा0 मृदुला यादव द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पत्र दिनांक 10-08-2016 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 20-09-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 मृदुला यादव, चिकित्साधिकारी को जिला संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली में इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 मृदुला यादव, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24-11-2016 तक जिला संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-78/3115(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 मृदुला यादव, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 24-11-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर/वाराणसी मण्डल।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा।

6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली।

7- कोषाधिकारी, इटावा/चन्दौली।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-77/3123/पांच-8-2016-जी0(189)/2016

लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2883/पांच-8-2014-म0(345)/2012, दिनांक 07-10-2014 द्वारा डा0 सनी सिंह, चिकित्साधिकारी को ई0एम0ओ0 पी0एल0 शर्मा जिला चिकित्सालय, मेरठ में नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 सनी सिंह नियुक्ति से पूर्व एम0डी0 फार्माकोलाजी में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में अध्ययनरत थे, जिसके कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे।

2- अत: सम्यक विचारोपरान्त डा0 सनी सिंह, चिकित्साधिकारी को पी0एल0 शर्मा जिला चिकित्सालय, मेरठ के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी सेवायें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी।

3- डा0 सनी सिंह , चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-10-2014 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

वी0 हेकाली झिमोमी

सचिव।

संख्या-77/3123(1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ ।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।

7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पी0एल0 शर्मा जिला चिकित्सालय, मेरठ।

8- कोषाधिकारी, मेरठ।

9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।